

सेवा में,

मैसर्स गौरसन्स रियलटैक प्रा0 लि0

भूखण्ड संख्या -1, अभय खण्ड-2

इन्द्रापुरम, गाजियाबाद

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक- 27/10/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा पॉकेट-3 सैक्टर-19 यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तुत पुनरीक्षित तलपट मानचित्र पर सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा रही है:-

1. परियोजना विभाग के पत्रांक-वाई.ई.ए./SM(P)/WC-1/2017-18/99/47697 दिनांक-30/01/2018 द्वारा Services/Dimension Plan के सम्बन्ध में उल्लेखित सभी शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है साथ ही परियोजना विभाग द्वारा बाहरी ड्रेनेज के लिए जो लेवल आवंटी को उपलब्ध कराये जायेंगे उसके अनुरूप प्लान को तैयार कर प्राविधान करने होंगे।
2. सम्पत्ति विभाग द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्त "सबलेसी द्वारा दिनांक-03/11/2017 में दिये गये नोटरी शपथ पत्र के आधार पर शपथकर्ता द्वारा प्राधिकरण में जमा कराये गये मानचित्रों पर प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित भवन के स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कम्प्लीशन सर्टीफिकेट प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने से पूर्व सबलेसी द्वारा भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर नियमानुसार अतिरिक्त प्रतिकर देय होगा, जिसको मै0 गौरसन्स रियलटैक प्रा. लि. द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।", का भी अनुपालन अनिवार्य होगा।
3. एल.एफ.डी-3 में पॉकेट-3 (मैसर्स गौर सन्स को आवंटित भूमि) की बाहरी माँपों में परिवर्तन होने की स्थिति में संस्था को ले-आउट प्लान तदनुसार पुनरीक्षित कराना होगा।
4. प्रत्येक प्रस्तावित भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र प्राधिकरण भवन नियमावली के अनुरूप मास्टर प्लान/कंसेसन एग्रीमेन्ट के अनुसार अनुमोदित कराया जाना होगा।
5. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष तक वैध है। साथ ही कंसेसन एग्रीमेन्ट की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
6. आवंटी द्वारा भवन विनियमावली के अनुसार विस्तृत पार्किंग प्लान व लैण्ड स्केपिंग प्लान प्रत्येक भवन मानचित्र के साथ अनुमोदित कराया जायेगा।
7. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
8. प्राधिकरण के जल विभाग द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था का विकास करना होगा। भूमिगत जल के उपयोग हेतु Ground Water Commission व अन्य Agencies की नीति के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
9. पर्यावरण, अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
10. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14/09/06 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन विभाग में प्रस्तुत करना

अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मानचित्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं यमुना एक्सप्रेसवे भवन विनियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

11. ग्रीन, ओपन स्पेस, ग्राउन्ड कवरेज, एफ.ए.आर. सेटबैक, आदि पर मास्टर प्लान, भवन विनियमावली (यथा संशोधित), कंसेसन एग्रीमेंट एवं उप पट्टा प्रलेख में दिये गये नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
12. प्रश्नगत भूखण्ड में जो भूमि मा0 उच्च न्यायालय के स्थागनादेश से प्रभावित है उस पर मानचित्र केवल नियोजन हेतु प्रतीकात्मक रूप से रहेगा तथा प्राधिकरण द्वारा उस पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं किया जा रही है।
13. एन0जी0टी द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. भू-उपयोग/भू-विन्यास मानचित्र से कोई भी IIIrd party liability/Interest प्रभावित होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
15. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
16. योजना स्थल के समीप स्थित ग्रामीण आबादी के लिए प्राधिकरण अथवा संस्था द्वारा वैकल्पिक एप्रोच रोड़ का निर्माण किये जाने तक वर्तमान एप्रोच रोड़ संस्था द्वारा बन्द नहीं की जायेगी।
17. संस्था द्वारा प्रस्तावित तलपट मानचित्र में आवासीय भू-उपयोग क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी भूखण्ड की प्रवेश/निकास केवल एल.एफ.डी के आन्तरिक मार्गों पर दी जाएगी। किसी भी भूखण्ड पर प्रवेश/निकास सीधे प्राधिकरण की सड़को पर अनुमन्य नहीं होगी।
18. सालिड वेस्ट डिस्पोजल व मैनेजमेंट आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
19. आवंटी संस्था को योजना की अवस्थापना सुविधाओं/सेवाओं को प्राधिकरण की अवस्थापना सुविधाओं/सेवाओं के साथ जोड़ने हेतु एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में कन्सेसन एग्रीमेंट के प्राविधानों के अनुसार तथा प्राधिकरण की नीति एवं निर्देश के अनुरूप कार्यवाही करनी होगी।
20. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत निर्देश के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
21. 40000.00 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों में एक Creche व एक मिल्क बुथ का प्राविधान फैंसिलटी के रूप में देना अनिवार्य होगा।
22. आवंटी को प्राधिकरण/अन्य स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुरक्षण शुल्क/उपयोग व्यय वहन करने होंगे।
23. Sub-division regulations तथा समय समय पर जारी अन्य regulations का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत पुनरीक्षित भू-विन्यास मानचित्र की प्रति।

भवदीया,

Mune
10/4/18
(मीना भार्गव)

महाप्रबन्धक (नियोजन एवं वास्तुकला)

प्रतिलिपि—

- महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (नियोजन एवं वास्तुकला)